


उत्तर प्रदेश पी०ए०सी० मुख्यालय, लखनऊ।
फोन +91-522-2337455, सीक्यूबी + 91-9454401172 फैक्स +91-522-2337453 ई-मेल pac@up.pac.net वेब uppolice.up.nic.in
पत्र संख्या:पीएसी-1-360-2013 दिनांक:लखनऊ: दिसम्बर 03 2013

स्थायी आदेश संख्या: 14 / 2013

शासनादेश संख्या: 820/सैतालिस-2-14-26ए31/82 दिनांक 28.02.1983 तथा उ०प्र० शासन के कार्मिक अनुभाग-1 के पत्र संख्या 13/1/97-का-1/1997 दिनांक 01.08.1997 के अनुरूप ऐसे किसी भी शिकायती प्रार्थना पत्र पर जाँच आदि की कार्यवाही नहीं की जायेगी जो गुमनाम प्रार्थना पत्र है अथवा प्रथम दृष्टय छदम नाम से है। उक्त क्रम में यह भी निर्देशित किया जाता है कि यदि इन शिकायती पत्रों में ऐसे किसी विशिष्ट(Specific) तथ्य का उल्लेख है जो सिद्ध किया जा सकता है तथा जो किसी अधिकारी/कर्मचारी के राजकीय दायित्वों के निर्वहन में किये गये गंभीर प्रकृति के कदाचार/लापरवाही से सम्बन्धित है, तो ऐसे आरोपों/तथ्यों के सम्बन्ध में आकस्मिक या अन्य निरीक्षण के दौरान पर्यवेक्षीय अधिकारियों द्वारा उन तथ्यों की जाँच अभिलेखों के आधार पर की जा सकती है। पर्याप्त आधार पाए जाने पर विस्तृत जाँच के आदेश दिए जा सकते हैं।


(रंजन द्विवेदी)
पुलिस महानिदेशक, पीएसी
उ०प्र० लखनऊ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर पुलिस महानिदेशक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
2. पुलिस महानिरीक्षक, पी, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
3. समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त अनुभागीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, पी०ए०सी०, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त सेनानायक, पी०ए०सी० वाहिनी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ की इस आदेश की एक प्रतिलिपि गणना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने के साथ-साथ रात्री गणना पर पढ़कर सुनाये जाने हेतु।
7. अपर पुलिस अधीक्षक, पी/ई पीएसी मुख्यालय लखनऊ।
8. स्टाफ आफीसर, पीएसी मुख्यालय, लखनऊ।